

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/कोर्ट केश-11-9/10

रॉची, दिनांक :-

आदेश

वित्त विभाग की संकल्प संख्या- 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-262 दिनांक 27.01.12, 2886 दिनांक 19.10.11, 3833 दिनांक 01.08.12 तथा 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-4 तथा स्तम्भ-5 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पी० बी०-III, ग्रेड पे रू० 5400/- तथा तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पी० बी०-III, ग्रेड पे रू० 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

साथ ही कंडिका-2 में निहित कनीय अभियंता श्री दीनबन्धु महतो को औपबंधिक रूप से जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आदेश सं०-5564 दिनांक 27.08.90 से दिनांक 04.07.89 के प्रभाव से प्रदत्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि की जाती है।

क्रम सं०	कनीय अभियंता का नाम/ जन्मतिथि/पदस्थापन का स्थान/आई०डी० कोड	नियुक्ति की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम० ए० सी० पी० योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण पी० बी०-III, ग्रेड पे० रू०-5400/- में देय तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम० ए० सी० पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण पी० बी०-III एवं ग्रेड पे० रू०-7600/- में देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बलराम प्रसाद यादव 05.03.49 / सिंघाई प्रमण्डल, गालूडीह/ जे०-4029	01.02.71	—	01.09.08	
2.	श्री दीनबन्धु महतो 04.07.52 / खरकई बाँध प्रमण्डल सं०-1, मुसाबनी/जे०-7359	04.07.79	—	04.07.09	
3.	श्री विश्वनाथ प्रसाद 14.05.50 / खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ जे०-3828	04.05.74	—	01.09.08	
4.	श्री जयप्रकाश सिंह 29.10.56 / लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-10, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम/ जे०-6128	06.02.79	—	06.02.09	

5.	श्री विपिन कुमार सिंह 01.07.57 / लघु वितरणी प्रमंडल सं०-03, मानगो, जमशेदपुर/ जे०-5370	02.02.79	—	02.02.09	
6.	श्री श्याम देव प्रसाद 28.02.58 लघु वितरणी प्रमंडल सं०-3, जमशेदपुर/ जे०-5917	08.02.79	—	08.02.09	
7.	श्री दामोदर दास 01.01.54 लघु वितरणी प्रमंडल सं०-3, मानगो, जमशेदपुर/ जे०-5681	02.02.79	—	02.02.09	
8.	श्री लक्ष्मी नारायण पाठक 11.07.49 / लघु वितरणी प्रमंडल सं०-10, घाटशिला/ जे०-5685 B	05.02.79	—	05.02.09	
9.	श्री विजेन्द्र प्रसाद सिन्हा 07.06.50 सुवर्णरेखा बॉध प्रमंडल सं०-2, चाण्डिल/ जे०-3476	23.08.73	—	01.09.08	
10.	श्री राजेन्द्र सिंह 01.06.63 सुवर्णरेखा बॉध प्रमंडल सं०-1, घाटशिला/ जे०-7777	19.01.87	01.09.08	—	
11.	श्री राधाकृष्ण महतो 21.05.53 / रुपांकन प्रमंडल सं०-3, आदित्यपुर/ जे०-6140	02.02.79	—	02.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम० ए० सी० पी० के तहत प्रदत्त लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापक —

रॉची, दिनांक —

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

रॉची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियन्ता/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को संबंधित कनीय अभियन्ता की मूल सेवा पुस्त सहित एवं संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

रॉची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-बायेडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

5082

रॉची, दिनांक -

6-9-13

प्रतिलिपि:-वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)